



कोयला मंत्रालय की वर्ष 2025 की वर्षांत समीक्षा

देश में वर्ष 2024-25 में कोयले का अब तक का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया गया

वर्ष 2024-25 में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.98% बढ़कर 1047.523 मीट्रिक टन हो गया

कैलेंडर वर्ष 2025 में 1042.90 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ

कैलेंडर वर्ष 2025 में कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों से कोयले का उत्पादन 203.70 मीट्रिक टन रहा

कैलेंडर वर्ष 2025 में 33 कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए गए

अधिक सरलता और बेहतर पहुंच के लिए कोलसेतु और संशोधित शक्ति नीति जैसे नीतिगत सुधार लागू किए गए

सीआईएल ने वर्ष 2025 में समेकित आधार पर सीएसआर गतिविधियों पर 885.44 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया

कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 3172 हेक्टेयर भूमि पर 60 लाख से अधिक पौधे

लगाए

कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऊर्जा दक्षता उपायों से प्रति वर्ष करीब 214.44 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई

कोयला मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के तहत स्पेस फ्रीड में प्रथम स्थान प्राप्त किया

प्रविष्टि तिथि: 12 JAN 2026 3:02PM by PIB Delhi

1. प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय **भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से कोयले के त्वरित, कुशल और सतत् उपयोग और इसके निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने पर** काम कर रहा है। कोयला क्षेत्र को मजबूत करने और भारत को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के करीब लाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र के समग्र विकास और कोयला खदानों की खोज और शीघ्र संचालन में तेजी लाने के लिए कई सुधार किए हैं।

कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन:

कोयला ऊर्जा का मुख्य आधार है और भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में 55% से अधिक का योगदान देता है। कुल बिजली उत्पादन में कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन का हिस्सा लगभग 72% है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में निरंतर प्रगति के साथ-साथ, कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अनिवार्य स्तंभ बना हुआ है, क्योंकि कोयला विश्वसनीय आधारभूत बिजली प्रदान करता है, इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को सहारा देता है और सतत् आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुमान है कि साल 2030 तक कोयले की मांग बढ़कर लगभग 1.5 अरब टन हो जाएगी।

वर्ष 2024-25 में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.98% बढ़कर 1047.523 मिलियन टन हो गया। देश ने वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है। वर्ष 2024-25 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 1047.523 मिलियन टन रहा, जबकि वर्ष 2023-24 में यह 997.826 मिलियन टन था, जिसमें लगभग 4.98% की वृद्धि हुई।

कोयले की आपूर्ति भी वित्त वर्ष 2023-24 के 973.01 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 1025.33 मिलियन टन हो गई, जिसमें लगभग 5.38% की वृद्धि हुई। देश में कुल कोयला उत्पादन में भारी उछाल देखने को मिला है, जो वित्त वर्ष 2013-14 के 565.77 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 1047.52 मिलियन टन हो गया।

कैलेंडर वर्ष 2025 (जनवरी 2025 से दिसंबर 2025) के दौरान, देश ने लगभग 1042.90 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में करीब 1039.62 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले का उत्पादन हुआ था, जिसमें लगभग 0.23% की वृद्धि दर्ज की गई।

कैलेंडर वर्ष 2025 (31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान, देश ने लगभग 1016.14 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले की आपूर्ति की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 1013.59 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले की आपूर्ति हुई थी, जिसमें लगभग 0.25% की वृद्धि दर्ज की गई।

इस अवधि में उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार प्रचुर मात्रा में और निर्बाध रूप से कोयले की आपूर्ति हुई है और देश में कोयले की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

तापीय ऊर्जा संयंत्रों में भंडार

रेलवे के सहयोग से, घरेलू कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों में 31.12.2025 को कोयले का भंडार 50.31 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष की इसी तिथि की तुलना में लगभग 17.42% अधिक है। वास्तविक खपत के स्तर पर, यह भंडार 21 दिनों के लिए पर्याप्त है।

तापीय ऊर्जा संयंत्रों का भंडार 22.11.2025 को 50 मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में **80 दिन पहले** है। पिछले वित्तीय वर्ष में, 50 मीट्रिक टन का भंडार 09.02.2025 को हुआ था।

ऊर्जा क्षेत्र को कोयले की प्रचुर और निर्बाध आपूर्ति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में आयातित कोयले के मिश्रण में 54.17% की कमी आई है। 25 दिसंबर तक मिश्रण के लिए आयातित कोयला केवल 5.5 मीट्रिक टन है, जबकि पिछले वर्ष यह 12 मीट्रिक टन था।

मिश्रण हेतु आयातित कोयला 2022-23 में 35 मीट्रिक टन था, जो घरेलू कोयले की प्रचुर आपूर्ति के कारण धीरे-धीरे घट रहा है।

कोयला आयात

घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ, 2024-25 के दौरान देश में कोयला आयात में 7.9% की गिरावट आई और यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के 264.58 मीट्रिक टन की तुलना में 243.62 मिलियन टन (मीट्रिक टन) रहा। इस कमी के नतीजतन लगभग 7.93 बिलियन डॉलर (₹60681.67 करोड़) की विदेशी मुद्रा बचत हुई।

चालू वर्ष के दौरान यानी 25 अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक कुल कोयला आयात 149.80 मीट्रिक टन रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 149.23 मीट्रिक टन था।

2. सुधारों और नीति का कार्यान्वयन

1. कोयला लिंकेज नीति का कार्यान्वयन

1. गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी नीति:

- कैलेंडर वर्ष 2025 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान एनआरएस ई-नीलामी के तहत दो चरण (आठवां) और (नौवां) आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः 51.77 मीट्रिक टन और 74.10 मीट्रिक टन की कुल प्रस्तावित मात्रा के मुकाबले 9.97 मीट्रिक टन और 12.03 मीट्रिक टन की बुकिंग हुई।
- कोलसेतु- एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन- औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले के उपयोग हेतु एनआरएस लिंकेज(कोलसेतु) नीति में "कोलसेतु विंडो" नामक एक नई विंडो बनाकर निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी। सीसीईए द्वारा

- 12.12.2025 को अनुमोदित। नीतिगत दिशानिर्देश 19.12.2025 को जारी किए गए हैं। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- स्वयं के उपभोग, कोयले के निर्यात या किसी अन्य उद्देश्य (कोयले की धुलाई सहित) के लिए कोयला लिंकेज, सिवाय देश में पुनर्विक्रय के।
 - कोयला लिंकेज धारक अपनी कोयला लिंकेज मात्रा के 50% तक कोयले का निर्यात करने के पात्र हैं।
 - कोयला लिंकेज धारक इस विंडो के तहत प्राप्त कोयले का उपयोग अपनी समूह कंपनियों के बीच ज़रूरत के मुताबिक सरल ढंग से कर सकते हैं।
 - इस विंडो के तहत कोकिंग कोयला की पेशकश नहीं की जाएगी।

2. भारत में कोयले के दोहन और आवंटन को पारदर्शी बनाने की योजना (शक्ति) नीति:

- शक्ति बी (आठवां-ए) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मार्च से दिसंबर 2025 तक दो चरणों में कोयला लिंकेज नीलामी आयोजित की गई। कुल 61.29 मीट्रिक टन कोयले की पेशकश में से 26.47 मीट्रिक टन कोयला सफल बोलीदाताओं द्वारा बुक किया गया।
 - शक्ति नीति बी (i) के तहत जनवरी से दिसंबर 2025 तक 140 मेगावाट क्षमता के लिए 1 केंद्रीय/राज्य जेनको को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया।
 - वर्ष 2025 में सीआईएल द्वारा शक्ति बी (iii) के तहत कोयला लिंकेज नीलामी के तीन चरण आयोजित किए गए। कुल 86.81 मीट्रिक टन कोयले की पेशकश में से 23.80 मीट्रिक टन कोयला सफल बोलीदाताओं द्वारा बुक किया गया।
 - शक्ति नीति के बी (iv) के तहत, जनवरी से दिसंबर 2025 तक 5320 मेगावाट की क्षमता के लिए 3 राज्यों को कोयला लिंकेज प्रदान किए गए।
- **संशोधित शक्ति नीति:** 7 मई, 2025 को आयोजित कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में अनुमोदित। नवीन विशेषताओं से युक्त वर्तमान संशोधन ने शक्ति नीति के दायरे और प्रभाव को और बढ़ाया है तथा अधिक सरलता, व्यापक पात्रता और कोयले की बेहतर उपलब्धता के ज़रिए विद्युत क्षेत्र को समर्थन प्रदान करती है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
 - पिटहेड विद्युत संयंत्रों के लिए तरजीही लिंकेज
 - अधिक सुगमता, व्यापक पात्रता और कोयले की बेहतर उपलब्धता
 - सभी आयातित **कोयला आधारित (आईसीबी) विद्युत संयंत्र** कोयला लिंकेज के लिए पात्र हैं

संशोधित शक्ति नीति में अब तक **11,260 मेगावाट** के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

3. कोयला विनियम

कोयला एक्सचेंजों की स्थापना से एक स्वतंत्र बाज़ार बनेगा, जहाँ विक्रेता और खरीदार एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और कुशल मूल्य निर्धारण तंत्र के ज़रिए कोयले का लेन-देन कर सकेंगे। इसके लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में ज़रूरी संशोधन की आवश्यकता थी, जिसे पूरा कर लिया गया है और इसे 21 अगस्त 2025 को भारत की माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। संशोधित खान एवं खनिज विनियमन अधिनियम, 2025 में 'खनिज एक्सचेंज' की परिभाषा दी गई है और खान एवं खनिज विनियमन अधिनियम, 1957 में एक नई धारा 18B जोड़ी गई है, जो केंद्र सरकार को खनिज एक्सचेंजों के माध्यम से खनिजों, उनके सांद्रण या उनके प्रसंस्कृत रूपों (धातुओं सहित) के बाज़ार विकास, जिसमें व्यापार भी शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाती है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नियमों में निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधान 01.09.2025 से लागू हो गए हैं।

खान एवं खनिज विनियमन संशोधन अधिनियम 2025 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला नियंत्रक संगठन को 10.12.2025 को कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, पूर्व-विधायी परामर्शों के एक भाग के रूप में, कोयला विनियमन नियमों का मसौदा तैयार किया गया है और हितधारकों के परामर्श के लिए 19.12.2025 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

3. कोयला नियंत्रण नियम, 2004 में संशोधन करके खान, सीम या सीम के खंड को खोलने से पहले सीसीओ की पूर्व स्वीकृति की ज़रूरत को समाप्त किया गया

23.12.2025 को अधिसूचित कोयला नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025 के अनुसार, खान, सीम या सीम के खंड को खोलने से पहले सीसीओ की पूर्व स्वीकृति की ज़रूरत को समाप्त कर दिया गया है। अब, कंपनी के बोर्ड को ऐसी स्वीकृति देने और 15 दिनों के भीतर सीसीओ को सूचना देने का अधिकार दिया गया है। इस सुधार से कोयला खानों का संचालन तेजी से शुरू हो सकेगा।

4. कोयला मंत्रालय द्वारा 31.01.2025 को जारी किए गए कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक के लिए खनन योजना और खान बंद करने की योजना तैयार करने हेतु संशोधित दिशानिर्देश

आज़ादी के बाद पहली बार, अनुमोदित खान बंद करने की योजनाओं के अनुसार 15 खानों को वैज्ञानिक रूप से बंद किया गया है। इन खानों के लिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा अंतिम खान बंद करने के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खानों को सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से बंद किया गया था।

5. कोयला भूमि अधिग्रहण एवं प्रबंधन पोर्टल (क्लैप) का शुभारंभ

कोयला मंत्रालय ने 29.10.2025 को कोयला भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन पोर्टल (क्लैप) की शुरुआत की है। यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला युक्त क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए बनाया गया एक डिजिटल, एकीकृत मंच है। यह पोर्टल भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आवेदन जमा करना, भूमि विवरण अपलोड करना, आवेदन की प्रक्रिया और स्वीकृति, अधिग्रहण की प्रगति पर नज़र रखना, जैसे कि अधिसूचनाएं, कब्ज़ा और मुआवज़ा आदि, भूस्वामियों को मुआवज़े के भुगतान की निगरानी और ट्रेकिंग, और प्रभावित समुदायों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की निगरानी शामिल है।

यह पोर्टल कोयला भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जा रही भूमि से संबंधित भूमि अभिलेखों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करता है और नागरिक-केंद्रित शासन में योगदान देता है। प्रभावित व्यक्ति अपलोड की गई जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं, अपने दावों की स्थिति की जांच कर सकते हैं या वास्तविक समय में देख सकते हैं कि उनकी शिकायत का समाधान कैसे किया जा रहा है।

6. भूमिगत खनन के लिए आरक्षित कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए प्रोत्साहन

28.05.2020 को कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी हेतु कार्यप्रणाली को 23.04.2025 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है, ताकि भूमिगत खनन के लिए आरक्षित कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकें:

- राजस्व हिस्सेदारी का न्यूनतम प्रतिशत घटाकर 2% किया गया
- अग्रिम राशि की पूर्ण छूट

राजस्व हिस्सेदारी के न्यूनतम प्रतिशत में कमी और अग्रिम राशि की पूर्ण छूट की उपरोक्त संशोधित शर्तों पर, भूमिगत खनन के लिए वर्गीकृत कोयला/लिग्नाइट खदानों के सफल आवंटियों को खदान के जीवनकाल के दौरान किसी भी चरण में भूमिगत खदान को खुली खदान या मिश्रित खदान में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. कोयला बिक्री हेतु कोयला खदानों की नीलामी का 14वां चरण प्रारंभ

कोयला बिक्री हेतु कोयला खदानों की नीलामी का 14वां चरण 29.10.2025 को प्रारंभ किया गया, जिसमें 41 कोयला खदानों की पेशकश की गई। पारंपरिक कोयला खनन के अलावा, नीलामी ढांचे में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

8. खनिज रियायत नियम, 1960 में संशोधन

खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2025 को 20.05.2025 को अधिसूचित किया गया है, जो राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और सीएमपीडीआईएल से अव्यवहार्यता/गैर-कोयला क्षेत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधीन, ब्लॉक सीमाओं से परे कोयला/गैर-कोयला क्षेत्रों में खनन योजना के विस्तार को सुगम बनाने के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

9. सीआईएमएस पोर्टल में समयसीमा में संशोधन

सीआईएमएस पोर्टल के कामकाज और अन्य संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से परामर्श के बाद, सीआईएमएस पोर्टल में पंजीकरण की समयसीमा में संशोधन किया गया है। आयातकर्ता माल की प्राप्ति तिथि (शून्य दिन) से पहले और 60वें दिन तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों तक वैध रहेगी। आयातक को सीमा शुल्क विभाग द्वारा खेप की निकासी के लिए बिल ऑफ एंट्री में पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की समाप्ति तिथि दर्ज करनी होगी।

व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल में पंजीकरण शुल्क को पहले के न्यूनतम 500 रुपये से अधिकतम 1,00,000 रुपये प्रति खेप के मुकाबले घटाकर 500 रुपये (केवल पांच सौ रुपये) प्रति खेप कर दिया गया है। यह संशोधन 15 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है। सीआईएमएस पोर्टल के पंजीकरण शुल्क में युक्तिकरण किया गया है, ताकि पंजीकरण शुल्क इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) पोर्टल, अलौह आयात निगरानी प्रणाली (एनएफआईएम) पोर्टल और कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) पोर्टल में लागू शुल्क के बराबर हो जाए।

10. एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) का कार्यान्वयन

एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) को कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में लागू किया गया है। आईसीसीसी एक केंद्रीकृत, प्रौद्योगिकी-आधारित केंद्र है, जो कोयला क्षेत्र के संचालन, रसद और सुरक्षा के वास्तविक समय में पूर्ण समन्वय प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और वीडियो विश्लेषण का उपयोग करता है। परिसंपत्तियों में 24x7 निगरानी सक्षम करके, आईसीसीसी जोखिम का शीघ्र पता लगाने और अलर्ट के ज़रिए सुरक्षा बढ़ाता है, रसद दक्षता और स्टॉक मिलान में सुधार करता है, उच्च उत्पादकता के लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है और संसाधनों के अनुकूलित उपयोग के ज़रिए लागत बचत प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म चोरी और हेराफेरी को कम करके सुरक्षा को भी मजबूत करता है, जिससे आईसीसीसी डिजिटल सुधारों और परिचालन शासन में एक अहम बदलाव लाने वाला साबित होता है।

11. सीएमपीएफओ में सुधार

1. भविष्य निधि एवं पेंशन दावों के ऑनलाइन निपटान के लिए सी-केयर्स पोर्टल का संस्करण 2.0 जून 2025 में लॉन्च किया गया है, जिससे सीएमपीएफओ सदस्यों के खातों में भविष्य निधि और पेंशन का सीधा वितरण मुमकिन हो गया है। सी-केयर्स संस्करण 2.0 में सदस्यों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी है, जहां सदस्य अपनी प्रोफाइल, रोजगार प्रोफाइल देख सकते हैं, दावों को ट्रैक कर सकते हैं, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और अपना अपडेटेड पीएफ बैलेंस भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में एक चैटबॉट सहायक भी है, जो सदस्यों को वांछित जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। यह मोबाइल ऐप सभी सीएमपीएफ सदस्यों के लिए उपलब्ध है। वित्तीय मॉड्यूल (सी-केयर्स 2.0) के लागू होने से भविष्य निधि की राशि सदस्यों के खातों में उसी दिन तुरंत वितरित हो जाती है, जबकि पहले इसमें औसतन 7 दिन लगते थे।
2. कोयला खदान क्षेत्रों में पेंशन निपटान में लंबित मामलों को समाप्त करने, सामाजिक सुरक्षा तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और घर-घर जाकर पेंशन एवं पेंशन निपटान सेवाएं प्रदान करने के मकसद से जून 2025 में **मिशन प्रयास** (सामाजिक सुरक्षा तक सुनिश्चित पहुंच के लिए त्वरित समाधान) शुरू किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य कोयला श्रमिकों तक पहुंचना और उनकी पेंशन एवं पेंशन दावों का शीघ्र निपटान करना है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रयास समन्वयकों को नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों की समीक्षा और समाधान करते हैं।
3. विलंब, भ्रष्टाचार/रिश्तखोरी, लंबित दावों, निपटान में देरी, पीपीओ से संबंधित मुद्दों, पेंशन संशोधन आदि से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सीएमपीएफओ में 18 जुलाई 2025 को एक हॉटलाइन नंबर भी शुरू किया गया है।

12. अवैध खनन और कोयले की चोरी, अनधिकृत निष्कर्षण के खिलाफ त्वरित कार्रवाई

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 22 (अपराधों का संज्ञान) और 24 (प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति) तथा धारा 23बी (तलाशी की शक्ति) के अंतर्गत 22.11.2025 को अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं, जिनमें नामित अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। इससे कोयला कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकृत अधिकारी अवैध खनन और कोयले की चोरी, अनधिकृत निष्कर्षण तथा एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत संबंधित उल्लंघनों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे।

13. अधिकृत अन्वेषण एजेंसियों के समूह का विस्तार करना और निजी क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करना

अधिकृत अन्वेषण एजेंसियों की संख्या बढ़ाने और निजी क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने, दक्षता को बढ़ावा देने और खानों के शीघ्र संचालन को सुनिश्चित करने के मकसद से, 26.11.2025 को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना के ज़रिए 18 निजी एजेंसियों को बिना अन्वेषण लाइसेंस (पीएल) के अन्वेषण करने की अनुमति दी गई है। इन अन्वेषण एजेंसियों को शामिल करना व्यापार सुगमता की दिशा में एक कदम है और इससे लगभग 6 महीने का समय बचेगा।

14. “अन्वेषण कार्यक्रम और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट” के लिए अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण

कुशल और सतत कोयला अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए 28.11.2025 को “अन्वेषण कार्यक्रम और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट” के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब, कोयला मंत्रालय/सीएमपीडीआईएल से भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुमोदन की ज़रूरत नहीं है, जिससे अन्वेषण में तेजी आएगी, अनुमोदन की समय सीमा कम होगी और भारत के कोयला संसाधनों की दीर्घकालिक सुरक्षा और सतत उपयोग में योगदान मिलेगा।

15. वाशरी अपशिष्ट निपटान प्रक्रिया में सरलीकरण

कोयला मंत्रालय ने दिनांक 18.12.2025 के कार्यालय ज्ञापन के ज़रिए कोयला वाशरी अपशिष्ट निपटान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नीति में संशोधन किया है। इसका मकसद प्रक्रियात्मक ज़रूरतों को कम करना, व्यापार करने में सुगमता बढ़ाना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए वाशरी अपशिष्ट का समय पर और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है।

सरलीकृत ढांचा, कोयला वाशरी अपशिष्ट के त्वरित, सरल और अधिक कुशल निपटान को सुगम बनाने, उनके उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करने और परिचालन विलंब को कम करने में सहायक होगा। घरेलू कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर और ज़रूरी नियामक निगरानी सुनिश्चित करके, यह सुधार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है और एक सशक्त और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था के ज़रिए विकसित भारत की दिशा में प्रगति का समर्थन करता है।

3. मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम

3.1 कोयला गैसीकरण को प्रोत्साहन

सतही कोयला गैसीकरण

सरकार ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को गति देने के लिए कई नीतिगत, नियामक और वित्तीय उपाय किए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण करना है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

• वित्तीय सहायता:

- 24.01.2024 को मंत्रिमंडल ने तीन श्रेणियों में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए ₹8,500 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी।
- कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास और उत्पादन समझौता (सीजीपीडीपीए) कोयला मंत्रालय और श्रेणी I और III के चयनित आवेदकों के बीच 12.03.2025 को और श्रेणी II के लिए 08.05.2025 को निष्पादित किया गया।
- परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिनका चालू होना वित्त वर्ष 2030 तक लक्षित है। इन परियोजनाओं के समर्थन के लिए कुल ₹6,133.06 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- कुल 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय में से शेष 2,366.94 करोड़ रुपये (श्रेणी II और III के अंतर्गत) का उपयोग करने के मकसद से वित्तीय प्रोत्साहनों के दूसरे दौर के लिए निविदा आमंत्रण (आरएफपी) 30.09.2025 को प्रकाशित किया गया था। पूर्व-निविदा प्रक्रिया 10.10.2025 को आयोजित की गई।
- परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। नियमित समीक्षा की जा रही है, जिसके तहत 2025 में कुल छह बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से नवीनतम बैठक दिसंबर 2025 में आयोजित की गई थी।

• कोयला आपूर्ति सुगमता:

- एनआरएस कोयला लिंकेज नीलामी में पात्रता गैसीकरण परियोजनाओं के लिए शेष कोयले की आवश्यकता (आवंटित खदान की क्षमता से अधिक) को पूरा करने के लिए दी गई है। सभी 7 कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

• सहायक संस्थागत उपाय:

- 25.02.2025 को, एलपीजी में डीएमई के मिश्रण के लिए तकनीकी मानकों की जांच हेतु पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और गैस (एमओएनजी) के अंतर्गत डीएमई मिश्रण के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब तक इसकी 3 बैठकें हो चुकी हैं।
- मौजूदा गैस आधारित विद्युत स्टेशन को आईजीसीसी प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्र में परिवर्तित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु एक समिति का 10.09.2025 को गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 26.09.2025 को हुई।
- सीआईएमएफआर ने 10.06.2025 को कोयले से सिंथेटिक गैस रूपांतरण मानदंडों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया गया।
- 09.10.2025 को, डीपीआईआईटी ने मेसर्स झोंगशी केमिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को पंजीकरण प्रदान किया (ऐसा पहला पंजीकरण), जिससे यह प्रौद्योगिकी लाइसेंसकर्ता और ईपीसी ठेकेदार के रूप में भाग ले सकेगी।
- **गैसीकरण परियोजनाओं पर विनियमित क्षेत्र के आरओएम मूल्य को लागू करके कोयले के मूल्य अधिसूचना में संशोधन**
- इस पहल के अंतर्गत, कोयला मंत्रालय की दिनांक 15.02.2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति के तहत, 14.02.2022 को 'कोयला गैसीकरण की ओर ले जाने वाले सिंथेटिक गैस का उत्पादन' नामक एक नया उप-क्षेत्र सृजित किया गया। गैसीकरण परियोजना के प्रस्तावक कोयला लिंकेज का लाभ उठाने के लिए इस उप-क्षेत्र की लिंकेज नीलामी में भाग लेना ज़रूरी है। एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में कहा गया है कि प्रारंभिक न्यूनतम मूल्य संबंधित सीआईएल/एससीसीएल आरओएम मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा और बोलीदाता इस मूल्य से अधिक प्रीमियम के लिए बोली लगाएंगे।
- कोयला मंत्रालय के 'कोयला गैसीकरण मिशन' सहित स्वच्छ कोयला पहलों और गैसीकरण के महत्वपूर्ण महत्व को मान्यता देने के लिए नीति आयोग के विचारों को ध्यान में रखते हुए, 'कोयला गैसीकरण की ओर ले जाने वाले सिंथेटिक गैस का उत्पादन', उप-क्षेत्र के लिए लिंकेज नीलामी का न्यूनतम मूल्य विनियमित क्षेत्र के आरओएम मूल्य के बराबर कर दिया गया है।

2. भूमिगत कोयला गैसीकरण

- भारत के पास विश्व के सबसे विशाल कोयला भंडारों में से एक है, और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 300 मीटर से अधिक गहराई पर उपलब्ध है। भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तकनीक स्वच्छ कोयला उपयोग के भविष्य के लिए अपार संभावनाएं रखती है।
- वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 14वां दौर 25 अक्टूबर को शुरू हुआ, जिसमें भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) क्षमता वाली 41 कोयला खदानें शामिल हैं, जिनमें से 21 खदानें पहली बार नीलामी के लिए पेश की गई हैं। यूसीजी की शुरुआत ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत कोयला उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदार संसाधन उपयोग के भारत के लक्ष्यों को सुदृढ़ करता है।
- परिचालन संरचना और तकनीकी ढांचा सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यूसीजी पायलट परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आयोग की आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
- भूमिगत खनन (यूसीजी) को बढ़ावा देने के लिए, भूमिगत खनन पर लागू प्रोत्साहन यूसीजी पर भी लागू किए गए हैं, जैसे कि:
- भूमिगत खानों के लिए न्यूनतम मूल्य 2%
- भूमिगत खानों के लिए अग्रिम राशि में छूट
- भूमिगत खनन के लिए प्रदर्शन सुरक्षा पर 50% की छूट

- उपरोक्त के अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट प्रदान की जा रही है।

3.2 झरिया मास्टर प्लान के संशोधित संस्करण का कार्यान्वयन

- 25 जून 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा 5,940 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित झरिया मास्टर प्लान, दिसंबर 2028 तक 15,080 परिवारों के पुनर्वास का लक्ष्य रखने वाली एक प्रमुख परियोजना है। अब तक 1,136 परिवारों को स्थानांतरित किया जा चुका है और 14 आग की घटनाओं की निगरानी उपग्रह और एआई तकनीकों का उपयोग करके की गई है, जिन पर काबू पाने की योजना है।
- बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और आजीविका विकास परियोजनाओं में 100 ब्लॉकों में छतों पर सौर पैनल लगाना, 24x7 एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त बस परिवहन, बहु-कौशल संस्थानों और करियर परामर्श केंद्र की स्थापना और नवीनीकृत स्कूलों का निर्माण कार्य जारी है।

3.3 उन्नत मशीनीकरण और ढांचागत विकास

- कोयला मंत्रालय ने कोयला परिवहन को सुव्यवस्थित करने के मकसद से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) नामक एक प्रमुख पहल की योजना बनाई है, जिसके तहत खदान के मुहाने से लेकर प्रेषण बिंदु तक मशीनीकृत प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 45,000 करोड़ रुपये की लागत से 139 एफएमसी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। यह दृष्टिकोण दक्षता बढ़ाता है, रसद लागत को कम करता है और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करता है, जिससे कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर 552 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीवाई) की संयुक्त क्षमता वाली 65 मशीनीकृत परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं।
- एफएमसी क्षमता संवर्धन योजना

वित्तीय वर्ष	क्षमता (एमटीवाई)
वित्त वर्ष 2025-26 (पूर्ण)	552
वित्त वर्ष 2025-26	662
वित्त वर्ष 2026-27	779
वित्त वर्ष 2027-28	997

वित्त वर्ष 2028-29	1253
वित्त वर्ष 2029-30	1319

4. अन्वेषण

भारत के पास विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार है, जिसका अनुमानित कुल भंडार अप्रैल 2025 तक लगभग 401 अरब टन है।

यह विशाल संसाधन आधार देश के व्यवस्थित और सफल अन्वेषण प्रयासों का परिणाम है। व्यवस्थित अन्वेषण के ज़रिए क्षेत्रीय अन्वेषण द्वारा लगभग 20,500 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र को कवर किया गया है। क्षेत्रीय अन्वेषण के इस प्रभावशाली क्षेत्र में, एक महत्वपूर्ण हिस्सा—10,500 वर्ग किलोमीटर—विस्तृत अन्वेषण द्वारा कवर किया गया है, जो भविष्य की खानों के रणनीतिक परियोजनाकरण और विकास के लिए उपयुक्त है।

भविष्य को देखते हुए, भारत सरकार ने अगले पाँच वर्षों (विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) के दौरान कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण के लिए ₹5,925 करोड़ की एक बड़ी धनराशि आवंटित की है। यह विशाल निवेश कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण की केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के ज़रिए किया जाएगा।

इस लक्षित वित्तीय सहायता से लगभग 1,845 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र की खोज को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसमें एक विशाल ड्रिलिंग कार्यक्रम शामिल होगा, जिससे लगभग 55.50 लाख मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी। यह साहसिक पहल देश के विशाल ऊर्जा संसाधनों का सावधानीपूर्वक मानचित्रण और रणनीतिक उपयोग करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

4. कोयला उत्पादन/आपूर्ति

4.1. कोयला उत्पादन

- देश ने वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है। वर्ष 2024-25 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 1047.523 मिलियन टन रहा, जबकि वर्ष 2023-24 में यह 997.826 मिलियन टन था, जिसमें लगभग 4.98% की वृद्धि हुई।
- कैलेंडर वर्ष 2025 (जनवरी 2025 से दिसंबर 2025) के दौरान देश ने लगभग 1042.90 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग 1039.62 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले का उत्पादन हुआ था, जिसमें लगभग 0.23% की वृद्धि दर्ज की गई।

4.2 कोयले की आपूर्ति

- कैलेंडर वर्ष 2025 (31 दिसंबर, 2025 तक) के दौरान, देश ने लगभग 1016.14 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले की आपूर्ति की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में लगभग 1013.59 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले की आपूर्ति हुई थी, जिसमें लगभग 0.25% की वृद्धि दर्ज की गई।
- कैलेंडर वर्ष 2025 (31 दिसंबर, 2025 तक) के दौरान, विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 813.49 मीट्रिक टन (अस्थायी) रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 815.09 मीट्रिक टन (अस्थायी) कोयले की आपूर्ति हुई थी, जिसमें लगभग 0.19% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
- कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान (31 दिसंबर, 2025 तक), गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) को कोयले की आपूर्ति 202.65 मीट्रिक टन (अस्थायी) थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 198.50 मीट्रिक टन (अस्थायी) थी।

4.3 मिशन कोकिंग कोल

- 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत कोयला मंत्रालय द्वारा उठाए गए परिवर्तनकारी कदमों के चलते, 2030 तक घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन 140 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन 59.6 मिलियन टन रहा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 83 मीट्रिक टन है।
- कोयला मंत्रालय ने आयात कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
 - इस्पात क्षेत्र की मांग के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, कोयले के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोयला मंत्रालय ने "मिशन कोकिंग कोल" की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2029-30 तक घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन 140 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है।
 - वित्त वर्ष 2030 तक धुलाई क्षमता को वर्तमान 30 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 58 मीट्रिक टन करना भी इस मिशन का लक्ष्य है। इस संबंध में, सीआईएल द्वारा वित्त वर्ष 2030 तक 21.5 मीट्रिक टन क्षमता वाली 8 कोकिंग कोल वाशरी स्थापित करने की योजना है।
 - भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की मौजूदा पुरानी वाशरी का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा, जिनकी निर्धारित जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है, ताकि उनका अधिकतम उपयोग हो सके।
 - बीसीसीएल की पुरानी वाशरियों (4 वाशरियों) का मुद्रीकरण करके वाशरी डेवलपर सह संचालक (डब्ल्यूडीओ) मार्ग के माध्यम से उनकी परिचालन दक्षता को अधिकतम करना।
 - इस्पात निर्माण में घरेलू कोयले की मिलावट को 10% से बढ़ाकर 30% करने के लिए स्टाम्प-चार्जिंग तकनीक का कार्यान्वयन।
 - इस्पात उत्पादन के लिए घरेलू कोकिंग कोयले को बढ़ावा देने हेतु गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी मार्ग के माध्यम से इस्पात क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति। कोकिंग कोयले के आयात को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से नीलामी प्रक्रिया में सुधारों का कार्यान्वयन।
 - कोयला मंत्रालय ने निजी क्षेत्र को 16 कोकिंग कोयला ब्लॉक नीलाम किए हैं। इन ब्लॉकों में 2028-29 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

4.4 नई कोयला धुलाई फैक्ट्रियों की स्थापना

1. सीआईएल ने वित्त वर्ष 2030 तक 25 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली 8 कोकिंग कोयला धुलाई फैक्ट्रियों की स्थापना की योजना बनाई है। इन 8 कोकिंग कोयला धुलाई फैक्ट्रियों की स्थिति:
 - 2 धुलाई फैक्ट्रियां निर्माणाधीन हैं।

- 4 धुलाई फैक्ट्रियों के लिए सूचना का पत्र/आवेदन जारी किया जा चुका है।
- 2 धुलाई फैक्ट्रियों के लिए पुनः निविदा जारी की जाएगी।
- 2. इसके अलावा, सीआईएल ने वित्त वर्ष 2032 तक लगभग 58 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली 7 गैर-कोकिंग कोयला धुलाई फैक्ट्रियों की स्थापना की योजना बनाई है, जिससे गैर-कोकिंग कोयला धुलाई फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़कर 79 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

5. कोयला ब्लॉक आवंटन

5.1 वाणिज्यिक खनन

वित्तीय वर्ष 2025 में, 33 कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए गए हैं। इन खदानों की अधिकतम उत्पादन क्षमता (पीक रेटेड कैपेसिटी - पीआरसी) 49.54 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। पूरी तरह से चालू होने पर ये खदानें लगभग 66,980 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करेंगी और 7,430 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश आकर्षित करेंगी।

इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने 29 अक्टूबर, 2025 को 41 कोयला खदानों की 14वीं नीलामी प्रक्रिया भी शुरू की है, जिनमें भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के ज़रिए गहरे कोयला भंडार का उपयोग करने का प्रावधान है।

5.2. कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन

जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान कैप्टिव/कमर्शियल खानों से कोयले का उत्पादन 203.70 मीट्रिक टन रहा, जबकि जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान यह 180.66 मीट्रिक टन था, जिसमें 12.75% की वृद्धि दर्ज की गई।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कोयला मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सीएसआर उपलब्धियां 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, कोयला मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियां तथा एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता, पर्यावरण स्थिरता, ग्रामीण विकास आदि। जनवरी-दिसंबर 2025 के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

1. सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां:

1. सीएसआर व्यय

सीआईएल ने 2025 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान समेकित आधार पर 885.44 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया, जो 2024 की समान अवधि के 678.40 करोड़ रुपये के आंकड़े से 31% अधिक है।

2. प्रमुख गतिविधियां

2025 में, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका विकास, डिजिटल समावेशन और सामुदायिक अवसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक और प्रभावशाली सीएसआर पहल कीं। इस वर्ष सीएसआर व्यय, प्रमुख संस्थागत साझेदारियों और भारत भर में बड़े पैमाने पर विकासात्मक परियोजनाओं के शुभारंभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

• स्वास्थ्य सेवा संबंधी पहल

- सीआईएल ने मई 2025 में अपनी थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत 700 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी) की महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया। इस अवसर पर, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री और माननीय राज्य मंत्री (कोयला एवं खान) ने रोगी परिवारों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। हैदराबाद में एक और अस्पताल को शामिल करके परियोजना का भौगोलिक दायरा और भी बढ़ा दिया गया। अब इस योजना के तहत 18 अस्पताल शामिल हैं और 800 से अधिक बोनो मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। इस परियोजना के लिए सीआईएल को फरवरी 2025 में मुंबई में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सीएसआर 2024 से सम्मानित किया गया।
- सीसीएल ने उपचार आपके द्वार के तहत 53 गांवों को कवर करते हुए 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का संचालन शुरू किया, जिससे स्तन कैंसर, टीबी और सामान्य बीमारियों की जांच संभव हो सकी।
- एसईसीएल ने शहडोल स्थित बिरसा मुंडा सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और मैमोग्राफी सुविधा को मंजूरी दी।
- एनसीएल ने रीवा स्थित श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग की स्थापना के लिए वित्तपोषण किया और रोबोटिक-असिस्टेड सर्जिकल एक्सीलेंस सेंटर के लिए एम्स भोपाल के साथ साझेदारी की।
- डब्ल्यूसीएल ने मोतियाबिंद सर्जरी, आनुवंशिक जांच (सुश्रुत) और बाल हृदय सर्जरी (नन्हा सा दिल) सहित प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू किए।
- एमसीएल की एक प्रमुख सीएसआर परियोजना, पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज, तालचेर में शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ।

• शिक्षा एवं डिजिटल लर्निंग

- सीआईएल की निर्माण योजना की छह लाभार्थी (सभी महिलाएं) यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सफल रहीं। सर्वोच्च रैंक 142वीं एयर रैंक रही।
- सीआईएल ने भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के साथ 68 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में बुनियादी ढांचे के उन्नयन और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें सीआईएल के संचालन वाले जिलों के सभी ईएमआरएस और छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त ईएमआरएस शामिल हैं। समझौता ज्ञापन पर 9 सितंबर 2025 को केंद्रीय कोयला मंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
- सीसीएल ने 193 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब लागू किए।
- एसईसीएल ने जशपुर जिले के 206 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए।
- बीसीसीएल ने धनबाद के 79 स्कूलों का डिजिटलीकरण किया, जिससे 1 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ।
- ईसीएल ने 900 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक बहु-कौशल विकास संस्थान की स्थापना की।
- बीसीसीएल ने 250 युवाओं के लिए यांत्रिक व्यापार कौशल प्रशिक्षण शुरू किया।

- सीएमपीडीआईएल ने नेत्र सहायक और मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 80% से अधिक रोजगार प्राप्ति सुनिश्चित की।

आजीविका विकास एवं सामुदायिक सशक्तिकरण

- एनसीएल ने सशक्त किसान समृद्ध गाँव परियोजना को मंजूरी दी।
- एमसीएल ने ओडिशा में दिव्यांगजनों को 2,000 ई-रिक्शा उपलब्ध कराए।
- एसईसीएल ने एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
- डब्ल्यूसीएल ने सौदामिनी, प्रगति, संदीप और पोषित सहित प्रमुख आजीविका पहलों को कार्यान्वित किया।

4. अवसंरचना एवं सामुदायिक संपत्तियां

- एमसीएल ने बालांगीर में 236 कक्षाएँ, एनआईटी राउरकेला में 500 सीटों वाला बालिका छात्रावास और रायरंगपुर में एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन परिसर का निर्माण किया।
- एसईसीएल ने केलो नदी तट विकास परियोजना को मंजूरी दी।
- एनसीएल ने वाराणसी में एक प्रमुख वृद्धाश्रम का निर्माण पूरा किया।

2. एनएलसीआईएल की सीएसआर गतिविधियां:-

1. सीएसआर व्यय

एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 2025 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान समेकित आधार पर सीएसआर पर 50.85 करोड़ रुपये का व्यय किया [वित्त वर्ष 24-25 (जनवरी से मार्च 2025 तक 27.20 करोड़ रुपये + अप्रैल-दिसंबर 2025 (वित्त वर्ष 25-26) तक 23.65 करोड़ रुपये)], जो 2024 की समान अवधि के आंकड़े से 5% अधिक है।

2. प्रमुख गतिविधियां

- **एनएलसीआईएल जनरल अस्पताल के ज़रिए चिकित्सा सेवाएं:** एनएलसीआईएल अपने जनरल अस्पताल के ज़रिए नेवेली और उसके आसपास के गांवों के सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार और व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। हर साल, नेवेली के आसपास के गांवों के करीब 12 लाख मरीज सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल जनरल अस्पताल की मुफ्त चिकित्सा सेवाओं से लाभान्वित होते हैं।
- **सामुदायिक चिकित्सा शिविर:** परिचालन क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और विटामिन पूरक आहार दिया जा रहा है। हर साल, राजस्थान के बारसिंगसर परियोजना क्षेत्र और ओडिशा के तलबीरा परियोजना क्षेत्र के आसपास स्थित गांवों में लगभग 20 शिविर (चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, हीमोग्लोबिन स्तर जांच शिविर) आयोजित किए जाते हैं। औसतन, एनएलसीआईएल के आसपास रहने वाले लगभग 15,000 लोग इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
- **जल धारा – छाछ वितरण:** समाज कल्याण हमेशा से एनएलसीआईएल की प्राथमिकता रही है और जरूरतमंदों की सहायता करना उसका मूलभूत कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए, एनएलसीआईएल ने 2015 से नेवेली और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना (सीएसआर) के तहत निशुल्क छाछ वितरण स्टॉल (एनएलसीआईएल जल धारा) का आयोजन किया है।

सीएसआर के अंतर्गत, कंपनी हर साल भीषण गर्मी के मौसम में 60 दिनों तक जनता को छाछ उपलब्ध कराती है। प्रतिदिन लगभग 45,000 लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।

- **चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना:** एनएलसीआईएल अपनी सीएसआर पहलों के तहत, जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ अस्पतालों को उन्नत तकनीक वाले उपकरणों से लैस करने में सहायता प्रदान करता है। कांची कामकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट अस्पताल, चेन्नई को "होलमियम लेजर 30 वाट - लिथो/क्वांट इटली निर्मित" चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराया गया है। यह उपकरण अस्पताल को ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। यह पहल सामुदायिक कल्याण और सतत विकास के प्रति एनएलसीआईएल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्वास्थ्य सेवा संबंधी व्यवस्था में निवेश करके, कंपनी "स्वस्थ भारत" के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करती है।
- **टीबी उन्मूलन – 100 दिवसीय अभियान:** एनएलसी इंडिया लिमिटेड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की "टीबी मुक्त भारत" पहल के अनुरूप 100 दिवसीय अभियान के साथ टीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर रही है। कंपनी टीबी से लड़ने और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान के तहत, 27.01.2025 को एनएलसी इंडिया ने टीबी उन्मूलन का संकल्प लेते हुए "निक्षय शपथ" दिलाई। "निक्षय वाहन", वाहन पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर टीबी से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियां और डॉक्टरों के संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। एनएलसीआईएल इस अभियान के दौरान टीबी से संबंधित परामर्श, दवाएं और जांच निःशुल्क प्रदान कर रही है। भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी में, एनएलसीआईएल टीबी उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है।
- **स्वच्छता पखावाड़ा:** एनएलसीआईएल स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे हर साल लगभग 5500 आम जनता/स्वयं सहायता समूह/छात्र लाभान्वित होते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता पर जागरूकता अभियान, आस-पास के गांवों के स्कूलों में जागरूकता पैदा करना, खुले में शौच मुक्त उपाय, डॉक्टरों द्वारा "व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता" पर व्याख्यान कार्यक्रम, स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक/कचरा हटाने का अभियान, जिसमें अस्पतालों और औषधालयों की सफाई भी शामिल है।

एनएलसीएल स्कूल: कंपनी 10 स्कूल चलाती है, 3 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2 हाई स्कूल, 3 मिडिल स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय, जिनमें आसपास के गांवों के छात्रों और कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। औसतन प्रतिवर्ष लगभग 5200 स्कूली बच्चे इन स्कूलों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं।

- **स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता:** एनएलसीआईएल अपने तीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए नाश्ता योजना का विस्तार कर रहा है, ताकि छात्र सुबह की विशेष कक्षाओं में भाग ले सकें, उपस्थिति में सुधार हो सके और सार्वजनिक परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2000 छात्रों को लाभ मिलता है। नाश्ता योजना का छात्रों की उपस्थिति, पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **एनएलसीएल, नेवेली के कार्यक्षेत्र में छात्रों के लिए नीट कोचिंग:** एनएलसीआईएल अपने सीएसआर के तहत प्रतिवर्ष एनएलसीआईएल, नेवेली के कार्यक्षेत्र में रहने वाले 40 छात्रों को नीट कोचिंग प्रदान करने के लिए लगभग 45.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कोचिंग कार्यक्रम गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण परीक्षा तैयारी से वंचित रखने वाली वित्तीय और संसाधन संबंधी बाधाओं को सीधे तौर पर दूर करके उन्हें काफी लाभ पहुंचाता है।

- **शिक्षा सहायता:** एनएलसीआईएल हर साल जवाहर साइंस कॉलेज, नेवेली के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ट्यूशन फीस में योगदान दे रहा है। हर साल 900 से अधिक छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं। ट्यूशन फीस में सहायता से डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस परियोजना ने छात्रों के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें मूल्यवान स्नातक और स्नातकोत्तर अवसरों तक पहुंच प्राप्त हुई है।

- **आसपास के गांवों में शैक्षिक अवसंरचना का प्रावधान:**

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में, एनएलसीआईएल नेवेली और आसपास के गांवों और कडलूर जिले में स्थित सरकारी स्कूलों को अपना समर्थन देता है। कक्षाओं का निर्माण, स्कूल के मैदानों का समतलीकरण, शौचालयों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, स्कूल पुस्तकालयों और डिजिटल कक्षाओं आदि के ज़रिए अवसंरचना संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है।

- **नेवेली स्थित स्नेहा अपॉर्चुनिटी सर्विसेज** क्षेत्र के विशेष बच्चों के लिए एक डे केयर, शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र चलाती है। स्नेहा स्कूल मानसिक रूप से विकलांग बच्चों (लगभग 75 बच्चे -49 लड़के और 26 लड़कियां) को प्रति वर्ष लगभग 20 लाख रुपये की लागत से शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन बच्चों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने में सहायता के लिए सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इसमें विशेष निर्देश, योग और संगीत कक्षाएं शामिल हैं। छात्रों को आजीविका और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें सिलाई, बर्तईगिरी, खाना पकाना, कागज के उत्पाद और डोरमैट बनाना शामिल है। सॉफ्ट स्किल्स प्रदान करने के लिए एक कंप्यूटर प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। कंपनी बुनियादी ढांचागत सहायता, स्कूल अनुदान और सुविधाएं प्रदान करती है। हाल ही में आसपास के गांवों के छात्रों के लिए मुफ्त बस परिवहन सुविधा और मध्याह्न भोजन योजना को भी शामिल किया गया है। स्कूल के छात्रों ने मुख्यमंत्री ट्रॉफी गेम्स सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसमें छात्रों ने थ्रोबॉल और दौड़ जैसे खेलों में पुरस्कार जीते हैं।
- **ग्रामीण खेल:** कोयला मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एनएलसीआईएल ने सीएसआर के तहत ग्रामीण समुदायों के युवाओं के लिए एक ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस खेल प्रतियोगिता में तमिलनाडु के कडलूर जिले के 65 गांवों के युवाओं ने भाग लिया। कुल 75 मैच आयोजित किए गए जिनमें 2000 से अधिक युवाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आयोजन में पुरुषों के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी तथा महिलाओं के लिए थ्रो-बॉल प्रतियोगिताएं शामिल थीं।
- **सामुदायिक अवसंरचना का विकास:**

एनएलसीआईएल तमिलनाडु के कडलूर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन/डीआरडीए को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन पहलों में कडलूर के प्रतिष्ठित टाउन हॉल का जीर्णोद्धार, पेयजल आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंकों का निर्माण, महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए प्रीस्कूल/आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, अस्पताल भवनों का निर्माण, सामुदायिक जल तालाबों/झीलों का जीर्णोद्धार, पहुंच मार्गों का निर्माण आदि शामिल हैं। सीएसआर पहलों से तमिलनाडु के कडलूर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और वंचित वर्गों सहित लगभग 35 लाख लोगों को लाभ होगा।

7. सतत् विकास

7.1. हरित पहल: जैव-पुनर्प्राप्ति/वृक्षारोपण

कोयला मंत्रालय ने अपनी हरित पहलों के तहत कोयला खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देते हुए पारिस्थितिक बहाली के प्रयासों को मजबूत किया है।

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान, कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 3172 हेक्टेयर भूमि पर 60 लाख से अधिक पौधे लगाए।

पिछले छह वर्षों में, मार्च 2025 तक, कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 13,401 हेक्टेयर क्षेत्र में 290 लाख से अधिक पौधे लगाए।

मान्यता प्राप्त क्षतिपूर्ति वनीकरण (एसीए) दिशानिर्देशों के अनुरूप, कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने आगामी कोयला खनन परियोजनाओं के लिए एसीए भूमि बैंक स्थापित करने हेतु अब तक 6,385 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए “एक पेड़ मां के नाम” अभियान का मकसद नागरिकों को वृक्षारोपण के माध्यम से एक हरित ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के समारोहों के एक प्रमुख हिस्से के रूप में, कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने इस पर्यावरण-प्रभावशाली पहल के अनुरूप बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए। वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, कोयला खनन क्षेत्रों और उसके आसपास लगभग 58.18 लाख पौधे लगाकर लगभग 3,005 हेक्टेयर भूमि को हरित आवरण से आच्छादित किया गया। इसके अलावा, लगभग 6 लाख पौधे स्थानीय समुदायों को वितरित किए गए। इस अभियान में पीएसयू कर्मचारियों, स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सामुदायिक संगठनों सहित लगभग 35,000 व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।



जमुना ओसीपी, एसईसीएल के ओबी डंप पर वृक्षारोपण

7.2. मिशन ग्रीन (प्रकृति का विकास, पुनर्स्थापन, संवर्धन और सशक्तिकरण) कोयला क्षेत्र

1. मिशन ग्रीन कोयला क्षेत्र पुस्तिका का विमोचन माननीय कोयला मंत्री द्वारा 4 जुलाई 2025 को हैदराबाद में किया गया। यह मिशन माननीय प्रधानमंत्री की पंचामृत प्रतिबद्धताओं और मिशन लाइफ के अनुरूप है, जिसमें स्थिरता और जलवायु अनुकूलन को प्राथमिकता दी गई है। इसका मकसद कोयला-निर्भर क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार करते हुए पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है। सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल के लिए खनन के बाद की और अन्य उपयुक्त भूमि को जीवंत, टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित करने के लिए एक पांच वर्षीय विजन तैयार किया गया है।

2. कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पांच वर्षीय विजन में शामिल हैं:

- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और हरियाली
- आजीविका सृजन के लिए खदान पर्यटन को बढ़ावा देना
- कृषि और सामुदायिक ज़रूरतों के लिए उपचारित खदान जल का उपयोग
- नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपायों का कार्यान्वयन
- स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास और आजीविका प्रशिक्षण
- पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार

3. कोयला मंत्रालय ने एक निगरानी समिति का गठन किया है और मिशन ग्रीन की गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

7.3. पुनः प्राप्त भूमि पर पर्यावरण पार्कों का विकास और खान पर्यटन

1. जनवरी से दिसंबर 2025 तक, कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 3 नए पर्यावरण पार्क/मनोरंजन पार्क/खान पर्यटन स्थल विकसित किए।

पर्यावरण पार्क: चंद्र शेखर आजाद पर्यावरण पार्क, बीना परियोजना, एनसीएल

2. पिछले छह वर्षों में, मार्च 2025 तक, कुल 17 पर्यावरण पार्क और खान पर्यटन स्थल बनाए गए हैं, जिनमें से 5 पहले से ही स्थानीय पर्यटन सर्किट से जुड़े हुए हैं, जो टिकाऊ और पर्यटक-अनुकूल खान पर्यटन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

7.4. सामुदायिक उपयोग के लिए खान जल का उपयोग

1. खदान का पानी घरेलू उपयोग, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसी विभिन्न सामुदायिक ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है।
2. जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान, 4,760 लाख किलोलीटर (एलकेएल) उपचारित खदान जल सामुदायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 1,840 लाख किलोलीटर (एलकेएल) पीने के लिए और 2,920 लाख किलोलीटर (एलकेएल) सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है।
3. पिछले 6 वर्षों में मार्च 2025 तक, सामुदायिक उपयोग के लिए लगभग 22,800 लाख किलोलीटर (एलकेएल) खदान जल की आपूर्ति की गई है, जिससे कोयला उत्पादक राज्यों के 1,055 गांवों में लगभग 18.63 लाख आबादी को लाभ होने की उम्मीद है। इन 6 वर्षों के दौरान सिंचाई के लिए 8,374 लाख किलोलीटर (एलकेएल) और घरेलू/पीने के लिए 14,426 लाख किलोलीटर (एलकेएल) खदान जल की आपूर्ति की गई है।



कमल और वाटर लिली से ढका जल निकाय-प्रवासी पक्षियों का स्थल

7.5 अतिरिक्त अपशिष्ट (ओबी) का वैकल्पिक उपयोग

कोयला क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था (अपशिष्ट से धन) को बढ़ावा देने के लिए, 31.12.2025 तक, कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल 7 ओबी प्रसंस्करण संयंत्र / ओबी से एम-रेत संयंत्र चालू किए गए हैं।



अमलोहरी संयंत्र, एनसीएल में अतिरिक्त अपशिष्ट से एम-रेत संयंत्र

7.6. ऊर्जा दक्षता उपाय

1. ऊर्जा संसाधनों का कुशल उपयोग और उनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खपत स्तर पर बचाई गई ऊर्जा की एक इकाई अंततः कार्बन फुटप्रिंट में समानुपातिक कमी लाती है।
2. जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान कोयला/लिग्नाइट आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे 94,197 पारंपरिक लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलना, 1,011 ऊर्जा कुशल एसी, 9,192 सुपर फैन, 117 ई-वाहनों की तैनाती, 374 कुशल वॉटर हीटर, पंपों के लिए 381 ऊर्जा कुशल मोटर, स्ट्रीट लाइटों में 720 ऑटो-टाइमर और 20,813 कैपेसिटर बैंक स्थापित करना।
3. सीआईएल ने एलईडी रेट्रोफिटिंग, कुशल एसी और मोटर अपग्रेड में खासी प्रगति हासिल की है, जो ऊर्जा दक्षता के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
4. वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान कोयला/लिग्नाइट आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एलईडी लाइटें, ईई एसी, सुपर फैन, ईई वॉटर हीटर, ईई मोटर और स्ट्रीट लाइटों में ऑटो टाइमर जैसे ऊर्जा दक्षता उपायों के नतीजतन निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं:
 - वार्षिक बचत: लगभग 214.44 मिलियन यूनिट
 - वार्षिक मौद्रिक लाभ: लगभग 1608 मिलियन रुपये
 - वार्षिक कार्बन पृथक्करण: करीब 1.76 लाख टन CO₂ समतुल्य

8. अन्य गतिविधियाँ

8.1. कोयला एवं लिग्नाइट खानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार

1. कोयला मंत्रालय ने कोयला एवं लिग्नाइट खानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 4 सितंबर, 2025 को प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। आधार वर्ष 2023-24 के लिए, कुल 42 खानों (11 भूमिगत खानें और 31 खुली खानें) को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया।
2. उद्योग मानकों को और बेहतर करने की प्रतिबद्धता के साथ, मंत्रालय ने सतत् विकास और प्रगति के लिए जिम्मेदार कोयला खनन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए, प्रमुख मानदंडों में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था लागू की है। कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे।
3. कोयला मंत्रालय कोयला एवं लिग्नाइट खनन की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सतत् खनन प्रथाओं को बढ़ावा देकर और खानों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके देश में कोयला खानों के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए, मंत्रालय ने कोयला खानों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए स्टार रेटिंग नीति तैयार की है।
4. **स्टार रेटिंग नीति सात व्यापक मॉड्यूल में स्टार रेटिंग मानदंड निर्धारित करती है:** "खनन संचालन, पर्यावरणीय कारक, प्रौद्योगिकी का अपनाना, सर्वोत्तम खनन पद्धतियाँ, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, श्रमिक संबंधी अनुपालन और सुरक्षा।" इन सात मॉड्यूल में खुले खदानों के लिए कुल 50 मूल्यांकन मापदंड और भूमिगत खदानों के लिए 47 मूल्यांकन मापदंड तय किए गए हैं। स्टार रेटिंग पांच स्टार से लेकर शून्य स्टार तक के पैमाने पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक खदान की उपलब्धियों का समग्र मूल्यांकन किया जाता है।

5. इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो कोयला क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार स्टार रेटिंग के मापदंडों की समीक्षा करेगी और अन्य देशों में उपयोग की जाने वाली खदानों के अनुरूप समान मूल्यांकन की सिफारिश करेगी।

8.2. लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0

1. भारत सरकार के परिचालन दक्षता बढ़ाने के दृष्टिकोण के अनुरूप, कोयला मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 का संचालन किया, जिसमें तैयारी चरण (15-30 सितंबर 2025) और कार्यान्वयन चरण (2-31 अक्टूबर 2025) शामिल थे। कोयला मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), संबद्ध कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के साथ मिलकर इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया और उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। प्रमुख गतिविधियों में भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की फाइलों की त्वरित समीक्षा और छंटाई शामिल थी। संसद सदस्यों, वीआईपी संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों और पीएमओ से प्राप्त लंबित मामलों की संख्या को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
2. 1741 स्थलों की सफाई करके, कोयला मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों में स्थान मुक्त करने में **प्रथम स्थान (1.13 करोड़ वर्ग फुट)** और **स्क्रेप निपटान से अर्जित राजस्व में तृतीय स्थान (56.86 करोड़ रुपये)** प्राप्त किया, जो संसाधन अनुकूलन और स्थिरता में कोयला मंत्रालय के सक्रिय प्रयासों को दर्शाता है।
3. विशेष अभियान 5.0 के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:
 - सभी हितधारकों के साथ नियमित संपर्क के ज़रिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के संदर्भों के निपटान में 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
 - 1,90,841 भौतिक फाइलों और 65,637 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और कुल 1,28,527 फाइलों को छांटकर बंद कर दिया गया।
 - संसद सदस्यों, वीआईपी, जन शिकायतकर्ताओं और पीएमओ से प्राप्त संदर्भों में लंबित मामलों को कम करने पर विशेष जोर दिया गया। जन शिकायतों और सांसदों के संदर्भों के निपटान में 100% सफलता दर प्राप्त हुई।
 - 1.13 करोड़ वर्ग फुट जगह खाली करके और 8,678 मीट्रिक टन स्क्रेप का निपटान करके 56.85 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
 - विशेष अभियान 5.0 को सोशल मीडिया पर 3107 ट्वीट, 841 प्रेस विज्ञप्तियां, 29 पीआईबी बयान और कई अन्य सोशल मीडिया पोस्ट (इंस्टाग्राम/फेसबुक/थ्रेड्स आदि) के ज़रिए कवर किया गया।



4. स्वच्छता पहल के नतीजतन कार्यालय परिसरों और आसपास के क्षेत्रों के बड़े हिस्से की सफाई हुई, जिससे अधिक उपयोगी स्थान उपलब्ध हुआ। इस प्रयास से न केवल स्वच्छ वातावरण में योगदान मिला, बल्कि स्कैप सामग्री के निपटान से भारी राजस्व भी प्राप्त हुआ।
5. कोयला मंत्रालय के प्रयासों से कार्यालयों की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, और सफाई स्थलों की पहले और बाद की तस्वीरें स्पष्ट रूप से अहम प्रगति दर्शाती हैं।

सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची में सौंदर्यीकरण कार्य

	
पहले	बाद में

जयंत क्षेत्र, सिंगरौली, एनसीएल में अप्रयुक्त कक्ष को संगीत कक्ष (इंकार) में बदल दिया गया



पहले



बाद में

टीपीएस II विस्तार, एनएलसीआईएल में अप्रयुक्त कक्ष को “लर्निंग हब” में परिवर्तित किया गया



पहले



बाद में

मजरी क्षेत्र कार्यालय और एकोना उप क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में अप्रयुक्त कक्ष को शिशुगृह में परिवर्तित किया गया



पहले

बाद में

एनसीएल, सिंगरौली के सीईटीआई स्थित खेल परिसर में अप्रयुक्त कक्ष को किड्स ज़ोन में परिवर्तित किया गया



पहले

बाद में

समावेशिता: 'पिंक डिस्पेंसरी'



'पिंक डिस्पेंसरी' - पाटनसाओंगी, नागपुर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण



कोरबा, एसईसीएल में स्पेयर पार्ट्स आपूर्ति और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित केंद्रीय गोदाम

स्क्रेप से मूर्तिकला: "अंगारा", डब्ल्यूसीएल



पहले



बाद में

कोल इंडिया लिमिटेड का शुभंकर "अंगारा" - केंद्रीय कार्यशाला ताडाली, डब्ल्यूसीएल द्वारा लोहे के स्क्रेप से निर्मित

स्क्रेप से मूर्तिकला - एमसीएल द्वारा चार धाम





अपशिष्ट को कला में और स्कैप को मूर्तिकला में रूपांतरित करना। ये सभी एमसीएल के ओरिएंट एरिया के अंतर्गत ईको पार्क में स्थित चार धाम हैं।

1. श्री जगन्नाथ धाम, पुरी, ओडिशा
2. श्री बद्रीनाथ धाम, चमोली, उत्तराखंड
3. श्री द्वारिकानाथ धाम, द्वारका, गुजरात
4. श्री रामनाथस्वामी धाम, रामेश्वरम, तमिलनाडु

7-8 टन लोड, हॉल और डंप मशीनों के स्कैप, कन्वेयर बेल्ट स्पेयर पार्ट्स, पंप स्पेयर पार्ट्स, ड्रिल मशीन स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स आदि से निर्मित।

कांच के कचरे से मूर्तिकला, सीसीएल



पहले



बाद में

मगध-संघमित्र क्षेत्र, सीसीएल में करीब 0.2 टन बोटलों और टूटे कांच के कचरे से एक कोयला खनिक की 7 फीट ऊंची कांच की मूर्ति स्थापित की गई।

मिशन सिंदूर से प्रेरित, एसईसीएल



एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र स्थित सीईडब्ल्यूएस में एस-400 मिसाइल रोधी प्रणाली का मॉडल, साथ में एक रोबोटिक सैनिक।

80 साल पुरानी इमारत का जीर्णोद्धार, ईसीएल



बैंकोला क्षेत्र, ईसीएल में ऐतिहासिक (80 साल पुराना) "टैली बंगलो" का जीर्णोद्धार करके उसे योग और मनोरंजन केंद्र में परिवर्तित किया गया

प्लास्टिक से चप्पल, ईसीएल



पहले (प्लास्टिक कचरा)



प्रक्रियाधीन



बाद में (चक्कर लगाने वाली चप्पल / प्लास्टिक का खंभा)

ईसीएल के बैंकोला क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की एक इकाई स्थापित की गई है, ताकि प्लास्टिक के खतरे का प्रबंधन किया जा सके और भूमिगत खदान में छत के सहारे के लिए लकड़ी की चप्पलों के बजाय प्लास्टिक की चप्पलों का उपयोग करके वनों की कटाई को कम किया जा सके।

एनएलसीआईएल द्वारा विशेष अभियान 5.0 पर जागरूकता गीत



एनएलसीआईएल द्वारा विशेष अभियान के प्रमुख क्षेत्रों पर एक जागरूकता गीत तमिल और हिंदी भाषाओं में बनाया गया।

6. विशेष अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार:

माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 13 नवंबर 2025 को अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक के दौरान विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियों में सम्मानित किया:

नई पहल/सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ:



एमसीएल
“स्क्रेप से मूर्तिकला - चार धाम”



एनएलसीआईएल
“विशेष अभियान 5.0 पर जागरूकता गीत”



एसईसीएल
स्क्रेप निपटान, खाली स्थान और सोशल मीडिया उपस्थिति से अधिकतम
राजस्व प्राप्ति

एससीसीएल
भौतिक फाइलों की अधिकतम समीक्षा:



8.3. साइबर सुरक्षा

1. साइबर सुरक्षा के महत्व को समझते हुए, कोयला मंत्रालय और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नियमित और सक्रिय उपाय कर रहे हैं। इन प्रयासों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति, साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) का निर्माण और सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन शामिल है। कर्मचारियों को फिशिंग और मैलवेयर जैसे साइबर खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता का आकलन और सुधार करने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं।
2. अक्टूबर 2025 के दौरान, मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों और सीसीओ और सीएमपीएफओ जैसे संबद्ध कार्यालयों के बीच जागरूकता और तैयारी को मजबूत करने के लिए एक विशेष "साइबर सुरक्षा कार्यशाला" का आयोजन किया। इस सत्र में उभरते डिजिटल जोखिमों की स्पष्ट समझ प्रदान की गई, साथ ही प्रतिभागियों को अपने सिस्टम को मजबूत करने, कमजोरियों की पहचान करने और विकसित हो रहे खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के व्यावहारिक तरीकों पर मार्गदर्शन दिया गया। निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट भी करता है, जिससे एजेंसियों को अपने सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करने और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें अपडेट करने में मदद मिलती है। सहभागिता और सीखने को बढ़ावा देने के लिए, एक साइबर सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिससे प्रतिभागियों को सक्रिय शिक्षण के ज़रिए अपनी जागरूकता को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
3. साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लगाए गए बैनर/स्टैंडी के ज़रिए जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिससे अधिकतम पहुंच और संवेदनशीलता सुनिश्चित हो सके।

8.4 GeM पोर्टल के ज़रिए खरीद

1. वित्त वर्ष 2024-25 में उपलब्धि:

- कोयला मंत्रालय (जिसमें इसके सीपीएसई/संगठन शामिल हैं) ने वित्त वर्ष 2024-25 में GeM के ज़रिए ₹75,521 करोड़ की खरीद का लक्ष्य रखा।
- उपलब्धि ₹2,11,536.7 करोड़ रही, जो लक्ष्य से उल्लेखनीय रूप से 280% अधिक है।

2 वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदर्शन:

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खरीद का लक्ष्य ₹73,378.83 करोड़ निर्धारित किया गया था।
- 31 दिसंबर 2025 तक, कोयला मंत्रालय (जिसमें इसके केंद्रीय उपक्रम उद्यम/संगठन शामिल हैं) ने ₹71,995.62 करोड़ की खरीद हासिल की, जो लक्ष्य का 98% है।

3 जॉइंट मार्केट मैनेजमेंट (GEM) खरीद में शीर्ष स्थान:

- पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान, कोयला मंत्रालय सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में GeM के माध्यम से समग्र खरीद में लगातार प्रथम स्थान पर रहा है।
- इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों से शीर्ष सीपीएसई के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, नेवेली लिग्राइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसीआईएल) जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद में दूसरे स्थान पर है।

8.5 कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 के तहत भूमि अधिग्रहण

कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत अधिग्रहित और धारा 11 के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को सौंपी गई भूमि

"01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए कुल 5717.1297 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कोयला अधिग्रहण (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 11(1) के तहत कुल 6033.0147 हेक्टेयर भूमि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को सौंपी गई है।"

8.6. कैपेक्स उपलब्धि

कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31662.37 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हासिल किया, जो वार्षिक पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 143.60% है। वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक हासिल किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि (करोड़ में)

विवरण	सीआईएल	एनएलसीआईएल	एससीसीएल	कुल	
वित्तीय वर्ष 2024-25					
2024-25 के लिए समझौता ज्ञापन का लक्ष्य	15500	4948.86	1,600	20048.86	
उपलब्धि	21775.99	7736.10	2150.28	31662.37	
% उपलब्धि	140.49%	156.32%	134.39%	143.60%	

वित्तीय वर्ष 2025-26					
2025-26 के लिए समझौता ज्ञापन का लक्ष्य	16000	5078.31	1700	22778.31	
दिसंबर तक की उपलब्धि 25	9535.73	6241.86	1159.74	16937.33	
25 दिसंबर तक प्राप्त प्रतिशत	59.60%	122.91%	68.22%	74.36%	

8.7. कोयला आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पहल

सौर ऊर्जा कंपनियां अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप चलने के लिए सौर ऊर्जा में तेजी से निवेश कर रही हैं। यह रणनीतिक बदलाव उनकी उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों में साफ दिखाई देता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में उनके प्रयासों को दर्शाता है।

दिसंबर 2025 तक की उपलब्धियां: एनएलसीआईएल ने 1599 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किए हैं, सीआईएल ने 232 मेगावाट स्थापित किए हैं और एससीसीएल ने 245 मेगावाट स्थापित किए हैं। इन सामूहिक प्रयासों से कुल 2076 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्य: भविष्य में एनएलसीआईएल 690 मेगावाट, सीआईएल 670 मेगावाट और एससीसीएल 90 मेगावाट सौर ऊर्जा जोड़ने की योजना बना रही है। इससे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल लक्ष्य 1450 मेगावाट हो जाता है। ये महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएं बढ़ती मांग को पूरा करने और स्थिरता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

वित्त वर्ष 2029-30 तक के दीर्घकालिक लक्ष्य: दीर्घकालिक रूप से, एनएलसीआईएल का लक्ष्य 10 गीगावाट, सीआईएल का लक्ष्य 9.5 गीगावाट और एससीसीएल का लक्ष्य 3.0 गीगावाट है। संयुक्त दीर्घकालिक लक्ष्य 22.5 गीगावाट है, जो काफी प्रभावशाली है। ये लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं, जिससे ये कोयला कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी बन जाती हैं।

8.8. तापीय विद्युत संयंत्र

- **एमसीएल-एमबीपीएल, 2x800 मेगावाट (ओडिशा):** सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित परियोजना की क्षमता 2x800 मेगावाट है। परियोजना की कुल लागत 15947 करोड़ रुपये (लगभग 20 करोड़ रुपये) है। यूनिट-1 के दिसंबर 2029 तक चालू होने की उम्मीद है।

- **घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट, 3x660 मेगावाट (उत्तर प्रदेश):** नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल), एनएलसी इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। यह घाटमपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनएलसीआईएल और यूपीआरवीयूएनएल के बीच इक्विटी हिस्सेदारी 51:49 के अनुपात में विभाजित है। यूनिट #1 दिसंबर 2024 में और यूनिट #2 09.12.2025 को चालू हुई। यूनिट #3 28.02.2026 तक चालू हो जाएगी।
- **एनएलसी तलबीरा तापीय विद्युत परियोजना, 3x800 मेगावाट (ओडिशा):** एनएलसीआईएल बोर्ड ने ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में स्थित तारेइकेला में 3x800 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 27,213 करोड़ रुपये है। ओडिशा सरकार ने निजी भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी, 2024 को आधारशिला रखी थी। वर्तमान में स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा है। **इकाइयों के पूरे होने की अनुमानित तिथियां इस प्रकार हैं: यूनिट 1 फरवरी 2030 में, यूनिट 2 अगस्त 2030 में और यूनिट 3 फरवरी 2031 में।**

8.9. महत्वपूर्ण खनिज

महत्वपूर्ण खनिज बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए ज़रूरी हैं। कोयला कंपनियां अपने परिचालन में विविधता लाने और राजस्व के नए स्रोतों का लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर रही हैं।

1. खान मंत्रालय द्वारा आयोजित पांचवीं चरण की महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलामी में ओरंगा रेवतीपुर ग्रेफाइट और वैनैडियम ब्लॉक (एमएल) के लिए सीआईएल को पसंदीदा बोलीदाता के रूप में चुना गया है। यह ब्लॉक छत्तीसगढ़ में एसईसीएल के निकट स्थित है। वर्तमान में, सीआईएल इस स्थल पर परियोजना-पूर्व गतिविधियां चला रही है।
2. भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.03.2025 को जारी किए गए एनआईटी के ज़रिए आयोजित ई-नीलामी के पहले चरण के तहत अन्वेषण लाइसेंस के लिए आंध्र प्रदेश के ओटिल्लू-चंद्रगिरि आरईई अन्वेषण ब्लॉक की नीलामी में सीआईएल को 16.09.2025 को पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया था। इसके बाद, राज्य द्वारा 30.10.2025 को एलओआई जारी किया गया। वर्तमान में, सीएमपीडीआई को परियोजना गतिविधियों को संचालित करने का कार्य सौंपा गया है और पूर्व-अन्वेषण गतिविधियां चल रही हैं।
3. **विदेशी सहयोग:** सीआईएल ने कर्टिन विश्वविद्यालय, एबीएन 99 143 842 569, जो कर्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 (डब्ल्यूए) के तहत स्थापित एक निगमित निकाय है और केंट स्ट्रीट बेंटले, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 6102 में स्थित है, के साथ 28.01.2025 को कर्टिन विश्वविद्यालय - पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ माइंस, मिनरल्स, एनर्जी एंड केमिकल इंजीनियरिंग / फैक्ट्री ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के ज़रिए महत्वपूर्ण खनिजों, डी-कार्बोनाइजेशन और संसाधन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संभावित अनुसंधान एवं विकास सहयोग और ज्ञान साझाकरण के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
4. **समझौता ज्ञापन (एमओयू):**
 - सीआईएल ने 15.03.2025 को भारत सरकार के खान मंत्रालय के तत्वावधान में पंजीकृत स्वायत्त स्व-वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थान, नॉन फेरस मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के साथ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सहयोग और ज्ञान साझाकरण के अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- इसके अलावा, सीआईएल और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) ने 30.06.2025 को तांबा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- सीआईएल और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 05.10.2025 को महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण एवं दोहन में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- सीआईएल और मध्य प्रदेश सरकार के खनिज संसाधन विभाग (भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय के माध्यम से) ने 23.08.2025 को महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण एवं दोहन के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- सीआईएल ने 06.01.2025 को भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (एनसीआईएल) के साथ मुंबई स्थित मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, सीआईएल ने आपसी सहमति से महत्वपूर्ण खनिजों, जिनमें खनिज रेत/दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईसीआईएल) शामिल हैं, के विकास (खनन/निष्कर्षण/शोधन आदि) के लिए सहयोग और समन्वय स्थापित किया है। यह सहयोग घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/कच्चे माल की सोर्सिंग के ज़रिए किया जाएगा।
- **दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर एनएलसीआईएल-बीएआरसी समझौता ज्ञापन:** एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के साथ फ्लाई ऐश से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निष्कर्षण के लिए नेवेली में एक पायलट परियोजना स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्वदेशी पहल महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को मजबूत करती है, आयात पर निर्भरता को कम करती है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।

8.10. कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ)

कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) ने भारत भर में सतत खनन प्रथाओं, डिजिटल शासन और जिम्मेदार खदान समापन को बढ़ावा देने के मकसद से कई अहम पहलों और उपलब्धियों की घोषणा की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी नवाचार और हितधारकों की भागीदारी को मिलाकर, सरकार जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा दे रही है, कोयले की गुणवत्ता में सुधार कर रही है और देशभर के खनन क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति दे रही है।

1. समर्पित वित्तपोषण तंत्र के ज़रिए सामुदायिक विकास और न्यायसंगत बदलाव को मजबूत करना

सामाजिक रूप से जिम्मेदार और जन-केंद्रित खदान समापन करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, परिवर्तन के दौरान और बाद में समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए साफ वित्तीय जनादेश पेश किए गए हैं। इसके साथ ही, यह अनिवार्य किया गया है कि पांच-वार्षिक एस्क्रो निधि का 25% सामुदायिक विकास और आजीविका गतिविधियों के लिए समर्पित हो। यह भी अनिवार्य किया गया है कि एस्क्रो निधि का 10% विशेष रूप से न्यायसंगत परिवर्तन के लिए निर्धारित किया जाए। इससे यह तय होता है कि खनन कार्यों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने पर प्रभावित समुदायों को कौशल विकास, वैकल्पिक आजीविका सृजन, सामाजिक अवसंरचना और बदलाव के दौरान की ज़रूरतों के लिए संरचित सहायता मिले। इन वित्तपोषण प्रावधानों के ज़रिए, सरकार का लक्ष्य खनन क्षेत्रों में समान, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार समुदायों का निर्माण करना है।

2. हितधारकों की सहभागिता के ज़रिए समावेशी और टिकाऊ खदान परिसमापन को बढ़ावा देना

स्थायी खदान परिसमापन प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोयला और लिग्नाइट खदान मालिकों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए चार हितधारक परामर्श सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इन परामर्शों ने दरपन-पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों और खनन कंपनियों के साथ जुड़ाव को सुगम बनाया, ताकि जिम्मेदार खदान परिसमापन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके और सामुदायिक दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इन जुड़ावों ने गैर सरकारी संगठनों को चिन्हित खदानों और कंपनियों से जोड़कर प्रभावी सामुदायिक विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी को भी समर्थन दिया।

3. रीक्लेम फ्रेमवर्क: सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए अभ्यासकर्ता पुस्तिका

कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन (सीसीओ) ने रीक्लेम फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो पहुंच, कल्पना, सह-निर्माण, स्थानीयकरण, कार्यान्वयन, एकीकरण, अनुरक्षण का संक्षिप्त रूप है। इसका मकसद सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए समावेशी और टिकाऊ खदान बंद करने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना है। 04.07.2025 को लॉन्च किया गया यह फ्रेमवर्क खदान बंद करने के दौरान सक्रिय सामुदायिक सहभागिता के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सात खदानों में चलाया जा चुका है, जिनमें धनपुरी ओसी, पिनौरा यूजी, राजनगर ओसीपी, साउथ बलंदा ओसी, बसुंधरा ईस्ट, दतला ओसी और बरकुही ओसी शामिल हैं। बड़े पैमाने पर इसे अपनाने के लिए, सीसीओ ने सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल के 200 अधिकारियों के लिए ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिससे उन्हें अपने-अपने परिचालन में फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए ज़रूरी कौशल मिला है।

4. लिक्स फ्रेमवर्क: टिकाऊ खदान बंद करने के लिए प्रैक्टिशनर हैंडबुक

लिक्स फ्रेमवर्क (भूमि और तकनीकी सुधार, एकीकृत सामुदायिक सहभागिता और सशक्तिकरण, व्यवहार्य खनन-पश्चात विकास, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्वास, पुनर्योजी पर्यावरण बहाली और स्थिरता, और प्रबंधन) को 04.09.2025 को लॉन्च किया गया है। इसका मकसद खनन की गई भूमि का दोबारा उपयोग करने, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और संवेदनशील समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए एक संरचित और दूरदर्शी रोडमैप प्रदान करना है। यह फ्रेमवर्क 35 खनन पुनः उपयोग परियोजनाएं भी प्रदान करता है, जिससे खदान मालिकों को स्थानीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप सबसे व्यवहार्य खनन-पश्चात विकल्पों का आकलन और अपनाने में मदद मिलती है। फ्रेमवर्क के साथ-साथ, भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक व्यवहार्यता, जलवायु कारकों और सामाजिक-आर्थिक विचारों जैसे प्रमुख इनपुट का विश्लेषण करके उपयुक्त खनन पुनः उपयोग परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए एक इंटरैक्टिव निर्णय-सहायता उपकरण विकसित किया गया है। यह उपकरण हितधारकों को प्रत्येक खनन स्थल की अनूठी विशेषताओं और ज़रूरतों के मुताबिक परियोजना विकल्पों को तैयार करके सूचित, डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे टिकाऊ और प्रभावी पुनः उपयोग समाधानों को बढ़ावा मिलता है।

5. अर्थ फ्रेमवर्क: हरित वित्तपोषण और कार्बन प्रबंधन को बढ़ावा देना

कार्बन क्रेडिट के अवसरों का रणनीतिक मानचित्रण करने और हरित वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने हेतु अर्थ फ्रेमवर्क (संरेखित करना, क्रमबद्ध करना, लक्षित करना, उपयोग करना और अनुकूलित करना) 04.09.2025 को लॉन्च किया गया है। यह अभिनव फ्रेमवर्क कार्बन परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन का मार्गदर्शन करके और खनन क्षेत्र में कम कार्बन वाले भविष्य का समर्थन करने वाले निवेशों को बढ़ावा देकर पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ खनन प्रथाओं को गति देने के लिए बनाया गया है।

6. आसान अनुमोदन और बढ़ी हुई पारदर्शिता के ज़रिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना

- माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत और डिजिटल रूप से सशक्त शासन प्रणाली के दृष्टिकोण के अनुरूप, एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) का शुभारंभ 11 जनवरी 2021 को किया गया। यह एक सुगम और व्यक्तिगत संपर्क रहित अनुमोदन मंच है। इस डिजिटल सुधार का एक प्रमुख घटक, खनन योजना मॉड्यूल, खनन योजनाओं और खान बंद करने की योजनाओं को ऑनलाइन पेश करने और उनकी मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। इसकी शुरुआत से अब तक पोर्टल को 145 खनन योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 133 पर कार्रवाई की जा चुकी है। इससे औसत प्रसंस्करण समय घटकर 4.2 महीने रह गया है, जबकि पहले की ऑफलाइन प्रणाली में यह समय 9-12 महीने था।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 (अब तक) के दौरान, कोयला नियंत्रक संगठन ने क्रमशः 24 और 23 खनन योजनाओं को मंजूरी दी है। अंतिम अनुपालन अपलोड करने की तिथि से औसत प्रसंस्करण समय एक महीने से अधिक नहीं रहा है, यानी जब खनन योजना सभी तरह से पूर्ण रूप से एसडब्ल्यूसीएस पर अपलोड की गई हो।
- इन डिजिटल सुधारों के आधार पर, एसडब्ल्यूसीएस पर माइन ओपनिंग परमिशन (एमओपी) मॉड्यूल 7 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया। यह मॉड्यूल पारंपरिक ऑफलाइन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली से बदल देता है, जिससे ऑनलाइन आवेदन जमा करना, वास्तविक समय में ट्रेकिंग करना और त्वरित अनुमोदन प्राप्त करना ज्यादा सरल हो जाता है। इसे लागू करने से औसत प्रसंस्करण समय घटकर मात्र 17 दिन रह गया है, जबकि पहले यह 2-3 महीने था। लॉन्च होने के बाद से, पोर्टल के ज़रिए 32 माइन ओपनिंग परमिशन प्रदान की जा चुकी हैं।

7. भारत की कोकिंग कोयले की क्षमता का विस्तार

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए श्रेणी निर्धारण घोषणा में, कोयला नियंत्रक संगठन ने 44 कोयला सीम को गैर-कोकिंग कोयले से कोकिंग कोयले के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है, जो कोयला वर्गीकरण के इतिहास में इस प्रकार का पहला पुनर्वर्गीकरण है। पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड द्वारा मुगमा क्षेत्र (10 खदानें, 32 परतें) और सालनपुर क्षेत्र (4 खदानें, 12 परतें) में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य से संसाधनों के बेहतर उपयोग और कोकिंग कोयले में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

Ministry of Coal in News

Coal India Announces Factive Bonus of 1.03 Lakh for Non-Executive Employees

कोल इंडिया ने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1.03 लाख के त्योहारी इनाम की घोषणा की

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1.03 लाख के त्योहारी इनाम की घोषणा की है। यह इनाम कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के योगदान के लिए है।

Performance Linked Reward (PLR) Bonus Scheme

1.03 Lakh

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपने गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1.03 लाख के त्योहारी इनाम की घोषणा की है। यह इनाम कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और कर्मचारियों के योगदान के लिए है।

PM Modi Inaugurates The Ghatampur Thermal Power Project In Kanpur

PM Modi Inaugurates The Ghatampur Thermal Power Project In Kanpur

PM Modi Inaugurates The Ghatampur Thermal Power Project In Kanpur

Ministry issues draft rules to permit proposed CCO to regulate coal exchange

Ministry issues draft rules to permit proposed CCO to regulate coal exchange

Ministry issues draft rules to permit proposed CCO to regulate coal exchange

2025 will be another feather in the cap of India, a 2025 goal to represent India in World Weightlifting Championships

2025 will be another feather in the cap of India, a 2025 goal to represent India in World Weightlifting Championships

2025 will be another feather in the cap of India, a 2025 goal to represent India in World Weightlifting Championships

A Historic Milestone

1 Billion Tonne of Coal Production

A Historic Milestone

1 Billion Tonne of Coal Production

India's coal & mineral sectors undergoing historic transformation

India's coal & mineral sectors undergoing historic transformation

India's coal & mineral sectors undergoing historic transformation

पीके/केसी/एनएस

(रिलीज़ आईडी: 2214113) आगंतुक पटल : 213
 इस विज्ञापित को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Bengali , Bengali-TR

